यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बर:—154 / 2018 प्रार्थना पत्र
राजकुमार पिता तेजमल चौरड़िया, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाडा
जस्थान)

बनाम

———प्रार्थी

श्री बद्रीलाल पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री भैरूलाल पिता गणेश जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:—15.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व नेयम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार हलेड तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 80 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। गण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन ण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 2 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 2 को ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2. को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 3 के सम्मन मिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 3 को कितनी ही मर्तबा आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 11.3.2019 को एक कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 79 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 80 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 550/–रूपये (पॉच सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner